

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग

21 JAN 2019

क्रमांक प 22(14)न्याय/2018

जयपुर, दिनांक

::आज्ञा::

राजस्थान विधि सेवा संवर्ग के निम्नांकित कार्मिक को उनके प्रार्थना पत्र के क्रम में उनके नाम के सम्मुख अंकित प्रतियोगी परीक्षाओं में सम्मिलित होने की अनुमति नियमानुसार निम्नलिखित शर्तों के साथ एतद्द्वारा प्रदान की जाती है:-

क्र. सं.	नाम (सर्व श्री/सुश्री/श्रीमती/डॉ.)	विभाग का नाम	परीक्षा जिसकी अनुमति चाही है
1.	बालमुकुन्द मीणा कनिष्ठ विधि अधिकारी	जिला कलक्टर, कार्यालय बारां	राजस्थान सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट संवर्ग प्रतियोगी परीक्षा, 2018 (आरजेएस)
2.	सुनिज़ मुवाल कनिष्ठ विधि अधिकारी	निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, जयपुर	1. राजस्थान न्यायिक सेवा परीक्षा 2018 2. उत्तरप्रदेश न्यायिक सेवा परीक्षा 2018 3. राजस्थान प्रशासनिक सेवा परीक्षा 2018
3.	जयश्री मीणा सहायक विधि परामर्शी	प्रधान, मुख्य वन संरक्षक, जयपुर	राजस्थान सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट संवर्ग प्रतियोगी परीक्षा, 2018 (आरजेएस)
4.	रूचि शर्मा कनिष्ठ विधि अधिकारी	प्रधान मुख्य वन संरक्षक, जयपुर	राजस्थान सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट संवर्ग प्रतियोगी परीक्षा, 2018 (आरजेएस)
5.	नरेश मटाई कनिष्ठ विधि अधिकारी	निदेशालय, आयुर्वेद विभाग, अजमेर	राजस्थान सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट संवर्ग प्रतियोगी परीक्षा, 2018 (आरजेएस)
6.	रमेश चन्द्र मीणा कनिष्ठ विधि अधिकारी	जिला कलक्टर कार्यालय राजसमंद	राजस्थान सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट संवर्ग प्रतियोगी परीक्षा, 2018 (आरजेएस)
7.	यासिर अराफात कनिष्ठ विधि अधिकारी	राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग, जयपुर	राजस्थान सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट संवर्ग प्रतियोगी परीक्षा, 2018 (आरजेएस)
8.	अशोक कुमार मीना कनिष्ठ विधि अधिकारी	जिला कलक्टर कार्यालय टोंक	राजस्थान सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट संवर्ग प्रतियोगी परीक्षा, 2018 (आरजेएस)
9.	पूनम कुमारी गुप्ता कनिष्ठ विधि अधिकारी	निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, जयपुर	राजस्थान सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट संवर्ग प्रतियोगी परीक्षा, 2018 (आरजेएस)

शर्त:-

1. परीक्षा को तैयारी हेतु किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
2. परीक्षा दिवस के अतिरिक्त अन्य कोई अवकाश स्वीकृत नहीं किया जावेगा।
3. उपरोक्त सभी कार्मिक वर्तमान में इस विभाग के अधीनस्थ कार्यरत हैं तथा इनका चयन उक्त परीक्षा में होने पर इस विभाग को कोई आपत्ति नहीं होगी।

-६०-

(मधुसूदन शर्मा)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. संबंधित कर्मचारी/अधिकारी।
2. प्रोग्रामर, विधि एवं विधिक कार्य विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
3. संबंधित विभाग/रक्षित पत्रावली

संयुक्त शासन सचिव